व ता
म जो इ
की तामील
जारी हुए

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत--------- **Court of The Divisional Commissioner Bharatpur (Raj.)----**

........................प्रहलाद सिंह......................**बनाम**..............................देशराज सिंह ....

.....किस्म मुकदमा... रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या...............11 / 2023...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10.9.2024	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री रमनलाल मित्तल एडवोकेट के द्वारा दिनांक 12.8.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मण्डल के निर्णय दिनांक 7.8.2024 की प्रति की ओर ध्यानाकर्षित करते हुये निवेदन किया गया कि जेर नजरसानी आदेश 4.7.2023 के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष पेश की गई थी और माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 7.8.2024 जेरे नजरसानी निर्णय श्रीमान संभागीय आयुक्त भरतपुर दिनांक 4.7.2023 व उपखण्डाधिकारी भरतपुर निर्णय दिनांक 13.12.2022 निरस्त कर दिया है इस कारण माननीय मण्डल के द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 4.7.2023 निरस्त करने के फलस्वरूप न्यायालय हाजा में विचाराधीन यह रिव्यू प्रार्थना पत्र (नजरसानी) वेअसर हो गई है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली मण्डल के निर्णयानुसार बेअसर होने से निस्तारित की जावे। रेवेन्यू बोर्ड के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। वकील प्रार्थी के कथनों का मनन करते हुये हस्तगत पत्रादि का अवलोकन किया गया। चूंकि यह रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा की अपील संख्या 30 / 23 प्रहलादसिंह बनाम देशराजसिंह में पारित निर्णय दिनांक 4.7.2023 जो खारिज की गई थी के विरूद्ध विचाराधीन है। अब चूंकि राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा न्यायालय हाजा के मूल निर्णय 4.7.2023 के संदर्भ में हस्तगत निर्णय दिनांक 7.8.2024 पारित किया जा चुका है जिसमें न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 4.7.2023 एवं उपखण्डाधिकारी भरतपुर का निर्णय दिनांक 13.12.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्डाधिकारी भरतपुर को सभी हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है तो ऐसी स्थिति में अब इस रिव्यू प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। लिहाजा प्रकरण में माननीय मण्डल के द्वारा निर्णय पारित किये जाने के कारण यह रिव्यू प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर बिना किसी गुणावगुण पर विचार किये ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। 10.9.2024 संभागीय आयुक्त भरतपुर	